

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :-4/आ0-1-105/2026 102/मा0

/पटना, दिनांक :- 06/7/2026

Email सेवा में,

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल सं0-5, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में माँग संख्या-36 के मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई-उपमुख्य शीर्ष-01- जल पूर्ति-लघु शीर्ष-101-शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम-उपशीर्ष-0004-शहरी जलापूर्ति योजना, विपत्र कोड-36- 2215011010004 के वेतनादि अंतर्गत विभिन्न मदों यथा-01-01 वेतन में ₹16,37,656/- (सोलह लाख सैंतीस हजार छः सौ छप्पन रुपये) मात्र, 01-03 जीवन यापन भत्ता में ₹10,67,329/- (दस लाख सड़सठ हजार तीन सौ उनतीस रुपये) मात्र, 01-04 मकान किराया भत्ता में ₹1,98,218/- (एक लाख अठानवे हजार दो सौ अठारह रुपये) मात्र, 01-05 परिवहन में ₹1,11,307/- (एक लाख ग्यारह हजार तीन सौ सात रुपये) मात्र, 01-06 चिकित्सा भत्ता में ₹35,000/- (पैंतीस हजार रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹30,49,510/- (तीस लाख उनचास हजार पांच सौ दस रुपये) मात्र का आवंटन।

आदेश- आवंटन विवरणी के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में कॉलम-3 में अंकित कार्यालयों को, विपत्र कोड-36- 2215011010004 के वेतनादि अंतर्गत विभिन्न मदों यथा-01-01 वेतन में ₹16,37,656/- (सोलह लाख सैंतीस हजार छः सौ छप्पन रुपये) मात्र, 01-03 जीवन यापन भत्ता में ₹10,67,329/- (दस लाख सड़सठ हजार तीन सौ उनतीस रुपये) मात्र, 01-04 मकान किराया भत्ता में ₹1,98,218/- (एक लाख अठानवे हजार दो सौ अठारह रुपये) मात्र, 01-05 परिवहन में ₹1,11,307/- (एक लाख ग्यारह हजार तीन सौ सात रुपये) मात्र, 01-06 चिकित्सा भत्ता में ₹35,000/- (पैंतीस हजार रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹30,49,510/- (तीस लाख उनचास हजार पांच सौ दस रुपये) मात्र का निधि आवंटन किया जाता है।

- यह व्यय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आय-व्यय 2026-27 में बजट उपबंधित राशि से वहन किया जाएगा।
- यह व्यय माँग संख्या-36 के मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई-उपमुख्य शीर्ष-01- जल पूर्ति-लघु शीर्ष-101-शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम-उपशीर्ष-0004-शहरी जलापूर्ति योजना, विपत्र कोड-36- 2215011010004 के वेतनादि अंतर्गत विभिन्न मदों यथा- 01-01 वेतन, 01-03 जीवन यापन भत्ता, 01-04 मकान किराया भत्ता, 01-05 परिवहन एवं 01-06 चिकित्सा भत्ता मद अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट उपबंधित राशि से विकलनीय है।
- यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक-314/वि0, दिनांक-01.04.2026 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार CFMS के माध्यम से किया जाएगा।
- आवंटित राशि से अधिक व्यय तथा अतिरिक्त दायित्व का सृजन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। आवंटित राशि से अधिक व्यय के लिए आप पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।
- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित राशि में से होने वाली संभावित बचत राशि का प्रत्यापन दिनांक-15.02.2027 तक निश्चित रूप से कर दिया जाए।
- प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
- इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार/वित्त विभाग, बिहार, पटना को दी जा रही है।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

Arav Prasad
3/7/26
(आलोक प्रताप)
बजट पदाधिकारी

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

ज्ञापक :- 4/आ0-1-105/2026 102(मा0) /पटना, दिनांक :- 06/7/2026

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय) कोषांग/बजट पदाधिकारी/संयुक्त सचिव (प्र0को0)/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पेषित।

Anand Pratap
31/7/26
(आलोक प्रताप)
बजट पदाधिकारी

नित्यानन्द प्रसाद
(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)

(वि) वर्ष 2026-27)

क्र० सं०	भाग संख्या/विपत्र कोड	कार्यालय का नाम	कार्यरत कर्म/पदाधिकारी को वर्तमान वित्तीय वर्ष के द्वितीय चौमाही में देय नियमित वेतनादि भुगतान हेतु।						कार्यालयी अध्याचना का पत्रांक एवं दिनांक	अभ्युक्ति
			(01.01) वेतन	(01.03) जीवन यापन भत्ता	(01.04) मकान क्रियाया भत्ता	(01.05) परिवहन	(01.06) चिकित्सा भत्ता	कुल (कौलम 4+5+6+7+8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1	36-2215011010004	लोक स्वारूपी एवं यो0प्रमं0 सं0-5, पटना।	16,37,656	10,67,329	1,98,218	1,11,307	35,000	30,49,510	62	16.06.2026
		कुल	₹ 16,37,656	₹ 10,67,329	₹ 1,98,218	₹ 1,11,307	₹ 35,000	₹ 30,49,510		

आम प्रदा

(आलोक प्रताप)
बजट पदाधिकारी

नित्यानन्द प्रसाद

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)